JALAUN POLICE

दिनांक- 02.02.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में अभियुक्त देवेन्द्र कुमार को मान0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– अभियुक्त देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 हरिकिशन निवासी ग्राम बड़ागांव कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को छेड़खानी का कृत्य करने के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 27.05.2019 को कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 577/2019 (वाद संख्या- 56/2019) धारा 354 ए भादवि व धारा 9m/10 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 26.06.2019 को कोतवाली उरई पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 27.07.2019 को आरोप पत्र मान0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी फलस्वरूप दिनांक 02.02.2026 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र कुमार उपरोक्त 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की धनराशि में से 5,000/- रूपये पीड़िता को प्रतिकर स्वरुप प्रदान की जायेगी।